न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

अपील संख्या 25/2021 जिला दौसा ।

1. कजोड पुत्र लोहडीराम
2. पांचू पुत्र लोहडीराम
3. श्योराम पुत्र जयनारायण
4. नरसी पुत्र जयनारायण
   जाति मीणा निवासी गोपालपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा

अपीलान्टस्

बनाम

1. टूण्डा पुत्र हीरा कथत कल्पित टूण्डा पुत्र महोदव जाति मीणा निवासी गोपालपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा।
3. भूमि विकास बैंक शाखा लालसोट जरिये शाखा प्रबंधक भूमि विकास बैंक शाखा लालसोट।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा दिनांक 28.03.2012 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. अधिवक्ता अपीलांटस् एड. श्री श्यामबाबू पारीक
2. अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 श्री राजकुमार शर्मा।

निर्णय

दिनांक–08.12.2021

1. माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.5.2016 के द्वारा राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2015 एवं अति. जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03.2013 को निरस्त कर आवटन आदेश दिनांक 3.01.1970 को निरस्त किया गया।
2. उक्त निर्णय के विरूद्ध आवंटी टुण्डा दतक पुत्र श्री महादेव द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में डीबी सिविल स्पेशल रिट याचिका संख्या 354/2018 उनवान टुण्डा बनाम कजोड पेश की गई। उक्त याचिका में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा दिनांक 19.08.2019 को आदेश पारित कर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.5.2016 को अपास्त कर राजस्व अपील अधिकारी जयपुर मु0 दौसा को प्रकरण रिमाण्ड किया गया है।
3. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा डीबी सिविल स्पेशल रिट याचिका संख्या 354/2018 उनवान टुण्डा बनाम कजोड याचिका में पारित आदेश दिनांक 19.08.2019 की पालना में अपील पुनः नम्बर पर ली जाकर रेस्पोंडेन्ट् की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
4. अपीलांटस् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम चैनपुरा कलां में टुण्डा पुत्र महादेव नाम का कोई व्यक्ति नही है। उक्त विवादित भूमि का आवंटन किसी अन्य व्यक्ति ने टुण्डा पुत्र महादेव बनकर फर्जी अंगूठा निशानी लगाकर धोखे से भूमि का आवंटन कराया हैं वोटरलिस्ट व राशनकार्ड में टुण्डा महादेव का पुत्र नही है। बल्की टुण्डा टुण्डा पुत्र हीरा प्रमाणित है। उनका कथन है कि ग्राम चेनुपरा कलां की आराजी ख0न0 20, 39,52,57 का नामान्तकरण संख्या 153 दिनांक 3.1.2009 को विरासत से हरिया के सथान पर शम्भू, टुण्डाराम, जनसीराम पिसरान हरिया, नारायणी पत्नी हरिया 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ है। इससे प्रमाणित है कि प्रत्थर्थी टुण्डा हीरा का पुत्र है। दूसरी ओर खसरा नम्बर 65/58 को वह टुण्डा पुत्र महादेव बनकर हडपना चाहता है प्रत्यर्थी भूमिहीन भी नही है। इस प्रकार प्रत्यर्थी ने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

फर्जकारी कर उक्त भूमि का आवंटन टुण्डा पुत्र महादेव बनकर प्राप्त किया है। प्रत्यर्थी आवंटन के समय नाबालिग था। नाबालिग को भूमि का आवंटन नही किया जा सकता है। अतः धोख एवं मिसरिप्रेजेटेंशन से प्राप्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.3.2012 एवं आवंटन आदेश दिनांक 3.1.1971 भूमि खसरा नम्बर 65/58 वाके ग्राम चैनपुरा कलां तहसील लालसोट जिला दौसा को निरस्त किया जावे।

5. रेस्पोडेंट संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि टुण्डा पुत्र महादेव जाति मीणा निवासी गोपालपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा को आवंटन सलाहकार समिति लालसोट द्वारा भूमिहीन मानकर भूमि खसरा नम्बर 65/58 रकबा 10 बीघा ग्राम चैनुपरा कलां तहसील लालर्सोट जिला दौसा को दिनांक 03.01.1970 को विधिवत रूप से आवंटन की गई। रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम उक्त भूमि का आवंटन किये जाने के पश्चात आवंटी के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 3 के द्वारा आवंटी को भूमि खसरा नम्बर 65/58 रकबा 10 बीघा ग्राम चैनुपरा कलां तहसील लालसोट जिला दौसा में गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया गया। आवंटी टुण्डा के नाम गैर खातेदारी दर्ज होने के पश्चात आवंटी को नामान्तकरण संख्या 22 दिनांक 05.06.1981 के द्वारा गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। टुण्डा पुत्र महादेव तथा टुण्डा पुत्र हीरा अलग–अलग व्यक्ति नही है। एक ही व्यक्ति हैं विविध के नियमो के तहत आवंटन हुआ हैं आवंटी टुण्डा पुत्र महादेव को आवंटित भूमि का कब्जा भी बरवक्त आवंटन मौके पर दे दिया गया था तक से लेकर आज तक आवंटी निरन्त 41 वर्षो से काबिज चला आ रहा है। टुण्डा के पूर्वजो में महादेव के कोई पुत्र संतान नही थी तथा उसकी पगडी का दस्तुर टुण्डा पुत्र हीरा के हुआ था। तत्समय महादेव के भाई कल्याण के कोई पुत्र संतान नही थी ततदर्थ पगडी दस्तुर टुण्डा पुत्र महादेव के नाम हुआ था। रेस्पोडेंट संख्या 01 के पगडी का दस्तुर करने के हुछ वर्षो पश्चात महादेव के भाई कल्याण के पुत्र संतान उत्पन्न होने के पश्चात कल्याण की खातेदारी भूमि की विरासत का नामान्तकरण कल्याण के पुत्रो के नाम तस्दीक हुआ था। महादेव की भूमियो में टुण्डा पुत्र हीरा का नामान्तकरण आज तक नही खुला है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 14(4) गलत तथ्यो पर पेश किया है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने अपने प्रार्थन पत्र में वर्णित तथ्यो के समर्थन में कोई प्रलेखीय साक्ष्य पेश नही की और ना ही उक्त प्रार्थनाा अन्तर्गत नियम 14(4) के समर्थना में शपथ पेश किया गया। अपीलांटस द्वारा अधिनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 01 को किये गये आवंटन के विरूद्ध प्रार्थना पत्र 14(4) पेश कर आवंटन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 28.03.2012 पारित कर अपीलांट कजोड वगैराह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 14(4) खारीज फरमा दिया गया तथा आवंटन को यथावत रखा गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा द्वारा भी उभय पक्षकारान की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 03.08.2015 पारित कर अपीलांट की अपील को खारिज फरमा दिया गया। तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु तैयार की गई रिपोर्ट दिनांक 20.6.2019 में स्वीकार किया है कि राजस्व ग्राम चैनपुरा कलां की सीमा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 65/58 रकबा 10 बीघा का आवंटन कमेटी द्वारा सन 1970 में टुण्डा पुत्र महादेव को आवंटन किया गया था टुण्डा पुत्र महादेव आवंटित भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। तहसीलदार द्वारा जारी जांच रिपोर्ट से पुख्ता रूप से प्रमाणित है कि टुण्डा पुत्र महादेव एवं टुण्डा पुत्र हीरा उफ हरिया एक ही व्यक्ति है और इसी व्यक्ति को उक्त भूमि आवंटन की गई थी इसी व्यक्ति को कब्जा सौंपा गया था और यही व्यक्ति मौके पर निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है और यह व्यक्ति बरवक्त आवंटन भूमिहीन था। जिसने कोई फॉड एवं मिस–रिप्रजेन्टेशान नही किया। तहसीलदार की उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किया गया। न्यायिक दुश्टांत आर.आर.डी 1985 पेज 369 में माननीय राजस्व0 मण्डल द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि आवंटन के पश्चात खातेदारी अधिकार मिलने के बाद में फॉड व मिस–रिप्रजेन्टेशन के आधार पर आवंटन को निरस्त नही किया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

जा सकता है। उनका कथन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) एवं अति. जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03.2013 एवं प्रथम अपील पर राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2015 उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारीज की जावे तथा रेस्पोडेंट संख्या 01 टुण्डा पुत्र महादेव जाति मीणा निवासी गोपालपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा को आवंटन सलाहकार समिति लालसोट द्वारा दिनांक 03.01.1970 को किये गये भूमि खसरा नम्बर 65/58 रकबा 10 बीघा ग्राम चैनुपरा कलां तहसील लालसोट जिला दौसा को आवंटन आदेश यथावत रखा जावे। रेस्पोडेंट संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपीलांटस् द्वारा आवंटन आदेश 03.01.1970 की अपील अत्यधिक विलम्ब लगभग 41 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र धारा 5 में विलम्ब के जो कारण उल्लेखित किये गये है वे काल्पनिक तथा अस्पष्ट है। अतः अपील मियाद बाहर होने से भी खारीज की जावे। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 1993 RRD 800, 2012 (19)RBJ 532, 1996 RCC 543, 2011(18) RBJ 418, 2017(27) RBJ 27, 2016(1) RRT 358, 2021(1) CJ (SIVIL) ST 303, 2001(2) RRT 836 न्यायिक दृष्टांत एवं शपथ पत्र जागा का प्रस्तुत किया गया है।

6. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलांट कजोड द्वारा टुण्डा पुत्र महादेव जाति मीणा निवासी गोपालपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा को आवंटन सलाहकार समिति लालसोट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 65/58 रकबा 10 बीघा ग्राम चैनुपरा कलां तहसील लालसोट जिला दौसा को दिनांक 03.01.1970 को किये गये आवंटन के विरूद्ध 41 वर्ष पश्चात वर्ष 2011 में अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 14(4) पेश किया गया जिसमें अति0 जिला कलक्टर दौसा द्वारा निर्णय दिनांक 28.03.2012 पारित की अपीलांट कजोड के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 14(4) को 40 वर्ष पश्चात पेश करने एवं आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन विधिक नियमानुसार किया जाना मानते हुये अपीलांट कजोड का प्रार्थना पत्र धारा 14(4) खारीज कर दिया गया। अपीलांट कजोड द्वारा अति0 जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03.2012 के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी जयपुर मु0 दौसा के समक्ष प्रथम अपील संख्या 29/2012 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश की गई जिसमें राजस्व अपील अधिकारी जयपुर मु0 दौसा द्वारा दिनांक 13.08.2015 को निर्णय पारित कर अपीलांट कजोड के द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को मियाद बाहर 40 वर्ष से अधिक अवधि होने एवं रेस्पोंडेंट टुण्डा को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लेने के पश्चात नियम 14(4) 1970 के नियमो के अन्तर्गत कार्यवाही नही किये जाने का उल्लेख करते हुये अपीलांट अपील को खारीज किया गया तथा अति. जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2012 को यथावत रखा गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट कजोड द्वारा राजस्व अपील अधिकारी जयपुर मु0 दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2015 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डज अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील 5728/2015 अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश की गई जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 20.5.2016 पारित कर राजस्व अपील अधिकारी जयपुर मु0 दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2015 एवं अति. जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03.2013 को निरस्त कर रेस्पोडेंट संख्या 01 को आवंटित की गई भूमि खसरा नम्बर 65/58 रकबा 10 बीघा ग्राम चैनपुरा कलां तहसील लालसोट जिला दौसा के आवटन आदेश दिनांक 3.01.1970 को निरस्त किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर आवंटी टुण्डा दतक पुत्र श्री महादेव द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में डीबी सिविल स्पेशल रिट याचिका संख्या 354/2018 उनवान टुण्डा बनाम कजोड पेश की गई। उक्त याचिका में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा दिनांक 19.08.2019 को आदेश पारित कर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.5.2016 को अपास्त कर प्रकरण राजस्व अपील अधिकारी जयपुर मु0 दौसा को प्रकरण रिमाण्ड किया गया है।

Scanned by CamScanner

7. हम समझते है कि टुण्डा पुत्र महादेव जाति मीणा निवासी गोपालपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा को आवंटन सलाहकार समिति लालसोट द्वारा भूमिहीन मानकर भूमि खसरा नम्बर 65/58 रकबा 10 बीघा ग्राम चैनुपरा कलां तहसील लालसोट जिला दौसा को दिनांक 03.01.1970 को विधिवत रूप से आवंटन की गई। रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम उक्त भूमि का आवंटन किये जाने के पश्चात आवंटी के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 3 के द्वारा आवंटी को भूमि खसरा नम्बर 65/58 रकबा 10 बीघा ग्राम चैनुपरा कलां तहसील लालसोट जिला दौसा में गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया गया। आवंटी टुण्डा के नाम गैर खातेदारी दर्ज होने के पश्चात आवंटी को नामान्तकरण संख्या 22 दिनांक 05.06.1981 के द्वारा गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतित होता है कि पटवारी हल्का द्वारा आवंटन से पूर्व उक्त भूमि के आवंटन के संबंध में की गई रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकन है कि आवंटी टुण्डा पुत्र महादेव भूमिहीन है, उसके नाम ग्राम चैनपुरा में कोई भूमि नही है तथा बालिग है। रस्पोडेंट संख्या 1 टुण्डा हीरा का पुत्र है लेकिन वह महादेव जिसके कोई संतान नही थी, उसकी पगडी रेस्पोडेंट संख्या 01 टुण्डा के बंधी थी। इसलिये वह टुण्डा पुत्र महादेव ही कहलाया। महरइेव की मृत्यु के बाद सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण कल्याण के नाम दर्ज हो गया तथा कल्याण से उसके पुत्रो के नाम दर्ज हुआ। इस प्रकार महादेव के नाम कोई भूमि का अंकन ही नही हुआ। इस प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 01 भूमिहीन रहा है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट का कथन था कि रेस्पोडेंट टुण्डा पुत्र महादेव तथा टुण्डा पुत्र हीरा अलग–अलग व्यक्ति नही है। टुण्डा के पूर्वजो में महादेव के कोई पुत्र संतान नही थी तथा उसकी पगडी का दस्तुर टुण्डा पुत्र हीरा के हुआ था। तत्समय महादेव के भाई कल्याण के कोई पुत्र संतान नही थी तत्दर्थ पगडी दस्तुर टुण्डा पुत्र महादेव के नाम हुआ था। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत जागा के शपथ पत्र से भी यह प्रतित होता है कि महादेव की पगडी टुण्डा के बंधी है तथा महोदव के भाई कल्याण के तत्समय संतान नही होने से उसकी पगडी का दस्तुर भी टुण्डा पुत्र महोदेव के नाम हुआ। लेकिन टुण्डा के पगडी का दस्तुर करने के कुछ वर्षो पश्चात महादेव के भाई कल्याण के पुत्र संतान उत्पन्न होने के पश्चात कल्याण की खातेदारी भूमि की विरासत का नामान्तकरण कल्याण के पुत्रो के नाम तस्दीक गया। महादेव की भूमियो में टुण्डा पुत्र हीरा का नामान्तकरण आज तक नही खुला है। तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन याचिका संख्या 354/2018 उनवान टुण्डा बनाम कजोड के संबध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 20.6.2019 में स्वीकार किया है कि राजस्व ग्राम चैनपुरा कलां में स्थित आराजी खसरा नम्बर 65/58 रकबा 10 बीघा का आवंटन आंवटन कमेटी द्वारा सन 1970 में टुण्डा पुत्र महादेव को आवंटन किया गया था। टुण्डा पुत्र महादेव आवंटित भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। टुण्डा पुत्र महादेव एवं टुण्डा पुत्र हीरा उफ हरिया एक ही व्यक्ति है और इसी व्यक्ति को उक्त भूमि आवंटन की गई थी। जिसकी ताईद आवंब्न पत्रावली से स्पष्ट तया होती है। इसी व्यक्ति को कब्जा सौंपा गया था और यही व्यक्ति मौके पर निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है और यह व्यक्ति बरवक्त आवंटन भूमिहीन था। तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवंटन कमेठी द्वारा ग्राम चैनपुरा कलां में स्थित आराजी खसरा नम्बर 65/58 रकबा 10 बीघा का आवंटन टुण्डा पुत्र महादेव को विधि अनुरूप किया गया जिसमें कोई फ्रॉड एवं मिस–रिप्रजेन्टेशान होना प्रतित नही होता है। विवादित भूमि का आवंटन आवंटन कमेठी द्वारा टुण्डा पुत्र महादेव को दिनांक 03.01.1970 को किया गया है। जिसे निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र अपीलांट द्वारा वर्ष 2011 में 40 वर्ष पश्चात अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट कजोड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) को अति. जिला कलक्टर दौसा द्वारा खारीज किया गया है। 1970 के नियम 14(4) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी आवंटन के खिलाफ कोई व्यक्ति सक्षम न्यायालय में धारा 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र पेश करता है तथा वह प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय द्वारा खारीज कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति को आवंटन के विरूद्ध अपर न्यायालयो में अपील पेश करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। किन्तु फिर भी अपीलांट द्वारा आवंटी को किये गये आवंटन के विरूद्ध अति० जिला कलक्टर दौसा द्वारा निर्णय पारित किये जाने के बाद भी राजस्व अपील अधिकारी दौसा एवं राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की गई है जो नियम विरूद्ध है।

भू–प्रबन्ध
एवं
राजस्व अ
जयपुर (रा

उपनिदेशक संभागीय जयपुर
जयपुर

नामान्तकरण संख्या 22 दिनांक 05.06.1981 के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 टुण्डा को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जा चुका है। 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत केवल खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पूर्व ही कार्यवाही की जा सकती हैं। खातेदारी अधिकारी प्राप्त होने जाने के बाद आवंटी वे सभी अधिकार प्राप्त कर लेता है तो उसके राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्राप्त होते हैं। अतः खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लेने के पश्चात नियम 14(4) के नियमो के अन्तर्गत कार्यवाही नही हो सकती है। टुण्डा को की गई भूमि के आवंटन से पूर्व पटवारी हल्का से ली गई रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि प्रार्थी के पास खातेदारी में कोई भूमि नही हैं । राजस्व मण्डल ने आर.आर.डी. 2001 पेज 126 शंकरलाल बनाम राजस्थान सरकार के निर्णय में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि 20 वर्ष पश्चात तकनीकी कारणो से आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने आर.बी.जे. 2 पेज 780 पद उद्धत पूर्व निर्णय पतराम बनाम राजस्थान सरकार में यह व्यवस्था दी गई है आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुकने के पश्चात 1970 के नियम प्रभावी नही रहते। 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत केवल खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पूर्व ही कार्यवाही की जा सकती है। हम अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर मु0 दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2015 एवं अति. जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03.2013 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील सारहीन होने से खारीज किये जाने योग्य है तथा अपीलाधीन आदेश बहाल रखे जाने योग्य हैं।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटस् अस्वीकार कर खारीज की जाती है तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर मु0 दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2015 एवं अधिनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03.2013 तथा रेस्पोडेंट संख्या 01 टुण्डा पुत्र महादेव जाति मीणा निवासी गोपालपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा को ग्राम चैनपुरा कलां तहसील लालसोट जिला दौसा को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 03.01.1970 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

9. निर्णय आज दिनांक 08.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner